भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3545

जिसका उत्तर मंगलवार, 24 मार्च, 2026/3 चैत्र, 1948 (शक) को दिया जाना है।

केरल को उर्वरक की आपूर्ति

3545. श्री संदोष कुमार पी:

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने विशेषकर पिछले पांच वर्षों के कृषि के चरम मौसमों के दौरान केरल राज्य को उर्वरकों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की है;
(ख) उक्त अवधि के दौरान केरल को आवंटित और आपूर्ति की गई यूरिया, डीएपी और अन्य प्रमुख उर्वरकों की वर्ष-वार मात्रा कितनी है;
(ग) फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रावणकोर लिमिटेड (एफएसीटी), कोच्चि की वर्तमान संचालन स्थिति और उत्पादन क्षमता क्या है;
(घ) क्या सरकार का घरेलू उर्वरक उत्पादन बढ़ाने के लिए एफएसीटी के आधुनिकीकरण या विस्तार की किसी योजना का विचार है; और
(ड.) केरल के किसानों को प्रभावित करने वाली उर्वरकों की कमी और कीमतों में उतार-चढ़ाव को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क), (ख) और (ड.): केरल राज्य सहित, देश में उर्वरकों की समय पर और पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा प्रत्येक मौसम में निम्नलिखित कदम उठाए जाते हैं:

(i) प्रत्येक फसल मौसम के प्रारंभ होने से पहले, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएण्डएफडब्ल्यू), सभी राज्य सरकारों के परामर्श से उर्वरकों की राज्य-वार और माह-वार आवश्यकता का आकलन करता है।

(ii) कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा अनुमानित आवश्यकता के आधार पर, उर्वरक विभाग मासिक आपूर्ति योजना जारी करके राज्यों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों का आवंटन करता है और उपलब्धता की लगातार निगरानी करता है।

(iii) देश भर में सब्सिडी प्राप्त सभी प्रमुख उर्वरकों के संचलन की निगरानी एकीकृत उर्वरक प्रबंधन प्रणाली (आईएफएमएस) नामक एक ऑनलाइन वेब आधारित निगरानी प्रणाली द्वारा की जाती है;

(iv) राज्य सरकारों को नियमित रूप से सलाह दी जाती है कि वे समय पर मांगपत्र जारी करके आपूर्तियों को सुव्यवस्थित करने के लिए उत्पादकों और आयातकों के साथ समन्वय स्थापित करें।

(v) पर्याप्त रेक देने, उर्वरकों को प्राथमिकता देने और राज्यों के लिए रेकों की समय पर निकासी के लिए रेल मंत्रालय के साथ नियमित समन्वय बैठकें आयोजित की जाती हैं।

(vi) राज्य के भीतर जिला स्तर पर उर्वरकों का वितरण संबंधित राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

उपर्युक्त के मद्देनजर, यह उल्लेखनीय है कि 2020-21 से 2024-25 तक पिछले पांच वर्षों के दौरान केरल राज्य में उर्वरकों जैसे यूरिया, डीएपी, एमओपी और एनपीकेएस की उपलब्धता पर्याप्त बनी रही है। उक्त अवधि के दौरान इन उर्वरकों की आवश्यकता, उपलब्धता और बिक्री के संबंध में जानकारी **अनुलग्नक** में दी गई है।

इसके अतिरिक्त, यूरिया की वहनीय कीमत पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, यूरिया सब्सिडी स्कीम के तहत, किसानों को सांविधिक रूप से अधिसूचित अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) पर यूरिया उपलब्ध कराया जाता है। 45 किग्रा यूरिया की बोरी का एमआरपी 242 रुपए प्रति बोरी (नीम लेपन के प्रभार और यथा लागू करों को छोड़कर) है। फार्म गेट पर यूरिया की सुपुर्दगी लागत और यूरिया इकाइयों द्वारा निवल बाजार प्राप्ति के बीच का अंतर भारत सरकार द्वारा यूरिया उत्पादक/आयातक को सब्सिडी के रूप में दिया जाता है। तदनुसार, देश के सभी किसानों को सब्सिडी प्राप्त दरों पर यूरिया की आपूर्ति की जा रही है।

इसके अलावा, सरकार ने फॉस्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त (पीएंडके) उर्वरकों के लिए 01.04.2010 से पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) नीति लागू की है। एनबीएस नीति के तहत, किसानों को उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अधिसूचित पीएंडके उर्वरकों पर उनमें निहित पोषक तत्वों की मात्रा के आधार पर, मौसम के दौरान उनकी पीओएस बिक्री पर उत्पादक/आयातक को सब्सिडी प्रदान की जाती है। किसानों को पीएंडके उर्वरकों की किफायती आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार प्रमुख उर्वरकों और कच्चे माल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों और इनमें उतार-चढ़ाव यदि कोई हो, की निगरानी करती है और पीएंडके उर्वरकों के लिए एनबीएस दरों को वार्षिक/छमाही रूप से तय करते समय इनको आधार रूप में शामिल किया जाता है। इसके अलावा, वहनीयता को सुनिश्चित करने के लिए, 'अन्य लागत' को कवर करने के लिए 3500 रुपये प्रति एमटी, जिसमें फैक्ट्री गेट से फार्म गेट तक की लागत, अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि/कमी के कारण लाभ/नुकसान, एमआरपी में शामिल जीएसटी घटक के लिए प्रावधान और निवल एमआरपी (एमआरपी-जीएसटी) के 4% की दर पर उचित रिटर्न का प्रावधान शामिल हैं, जैसे विशेष प्रावधान खरीफ 2025 और रबी 2025-26 मौसम के लिए एनबीएस सब्सिडी के अलावा आयातित और घरेलू डीएपी दोनों और आयातित टीएसपी के लिए प्रदान किए गए हैं।

(ग) और (घ): फैक्ट के उर्वरक संयंत्र 100% से अधिक क्षमता उपयोग पर काम कर रहे हैं। वित्त वर्ष 2025-26 हेतु फरवरी 2026 तक उत्पादन और बिक्री निम्नानुसार है:

आंकड़े एमटी में

	संस्थापित क्षमता	**उत्पादन**	**बिक्री**
फैक्टमफोस	6,33,500	7,53,375	7,14,239
अमोनियम सल्फेट	2,25,000	2,57,661	2,77,920
ट्रेडेड (आयातित/खरीदे गए)	-	-	2,10,860

हालांकि, कंपनी ने बताया है कि 31.12.2025 को समाप्त नौ माह की अवधि के दौरान कंपनी ने 43 करोड़ रुपये के नुकसान के साथ 4240 करोड़ रुपये का कारोबार किया है।

इसके अलावा, वर्तमान में, घरेलू उर्वरक उत्पादन बढ़ाने के लिए फैक्ट का आधुनिकीकरण करने या विस्तार करने से संबंधित कोई भी प्रस्ताव उर्वरक विभाग के पास विचाराधीन नहीं है।

अनुलग्नक

यह अनुलग्नक दिनांक 24.03.2026 के राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं.3545 के उत्तर के भाग (क), (ख) और (ड.) से संबंधित है।

केरल

2020-21 से 2024-25 के दौरान मौसम-वार आवश्यकता, उपलब्धता और बिक्री

आंकड़े एमटी में

मौसम	यूरिया			डीएपी			एमओपी			एनपीकेएस		
	आवश्यकता	उपलब्धता	बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	बिक्री
खरीफ 2020	56,000	83,000	63,000	10,000	15,000	12,000	40,000	82,000	54,000	62,000	107,000	73,000
रबी 2021-22	57,000	87,000	64,000	8,800	10,000	9,000	45,000	73,000	55,000	63,000	99,000	70,000
खरीफ 2021	64,000	77,870	61,620	12,000	9,850	9,100	60,000	59,330	49,560	77,800	94,140	68,100
रबी 2021-22	58,000	67,650	53,200	8,000	5,380	4,910	50,010	36,770	27,830	67,000	75,380	58,230
खरीफ 2022	65,000	71,820	55,130	12,000	13,090	10,790	57,000	52,460	40,050	75,000	70,550	51,160
रबी 2022-23	58,000	76,510	56,840	7,750	11,040	7,760	50,000	45,690	38,198	67,000	73,645	50,950
खरीफ 2023	60,500	59,450	46,790	12,000	10,760	8,090	57,000	45,220	35,940	75,000	98,670	69,800
रबी 2023-24	58,001	66,250	49,460	7,751	10,000	7,440	40,001	51,450	34,560	66,998	86,090	56,600
खरीफ 2024	53,710	73,270	52,090	10,000	13,410	10,400	42,010	49,940	37,780	76,560	96,340	60,980
रबी 2024-25	57,000	85,000	63,000	7,000	11,000	10,000	40,000	67,770	45,000	60,000	88,000	65,000

1. सहज उपलब्धता का प्राथमिक संकेतक: उपलब्धता>आवश्यकता
2. सहज उपलब्धता का द्वितीयक संकेतक: उपलब्धता>बिक्री